प्रदेश में चिन्हित किटिकली प्रदूषणकारी क्षेत्रों में आच्छादित कानपुर नगर के पर्यावरणीय सुधार हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, कानपुर नगर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की दिनांक 28.06.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 28.06.2016 को सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ0 मो0 सिकन्दर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर, श्री रण विजय सिंह, सी0ओ0, ट्राफिक, कानपुर नगर, श्री प्रभात पाण्डेय, ए0आर0टी0ओ0 (प्रशासन), परिवहन विभाग, कानपुर, श्री आर0के0 गुप्ता, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर, श्री ए0के0 सिंह, अधि0अभि0, नगर निगम, कानपुर, श्री आर0सी0गंगवार, जेड0एस0ओ0, नगर निगम, कानपुर, श्री एस0एन0 भास्कर, अधि0 अभि0, पनकी थर्मल पावर, पनकी, कानपुर, श्री घनश्याम द्विवेदी, पी0एम0,जी0पी0सी0यू0, कानपुर, श्री दीपक, अधि0अभि0, के0डी0ए0, कानपुर, श्री एन0एन0 मिश्रा, सहा0 आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, कानपुर, श्री अनुराग श्रीवास्तव, मुख्य प्रबन्धक, सी0यू0जी0एल0, कानपुर, श्री चिन्ना रेड्डी, रैमकी इन्वायरों इंजी0 लि0, कानपुर देहात, डॉ0 फिरोज आलम, स्माल टेनर्स एसोशियेशन, जाजमऊ, कानपुर, श्री विवेक सिंह, के0एफ0सी0एल0, कानपुर, श्री राजीव निगम, विलवर्ल्ड इन्वायरोमेन्टल इंक, डा0 वी0के0 वर्मा, एम0पी0सी0सी0, कानपुर, श्री आदि उपस्थित थे। उपस्थिति पंजिका संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए समीक्षा बैठक को प्रारम्भ किया गया। बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	विषय	सम्बन्धित विभाग	समीक्षा बिन्दु	कृतकार्यवाही / अद्यतन स्थिति	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश
1.	परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या	कानपुर नगर निगम / गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई (जल निगम) / उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	• परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1989 यथा संशोधित के अन्तर्गत कानपुर नगर में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाली इकाईयों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी0एस0डी0एफ0 से अनुबन्ध एवं निस्तारित अपशिष्ट की स्थिति।	• उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले 354 उद्योग चिन्हित किये गये है। सभी टी0एस0डी0एफ0 से सम्बद्ध है। वर्तमान में 198 उद्योग संचालित है, जिनमें से 150 उद्योगों के पास वैध प्राधिकार है, 48 उद्योग का प्राधिकार सम्बन्धी आवेदन विचाराधीन है तथा 156 उद्योग बन्द है। उद्योंगों द्वारा डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था की गयी है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा टी0एस0डी0एफ0 से सम्बद्ध कानपुर नगर के उद्योगों की सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को प्रेषित किये जाने हेतु मै0 रैमकी इन्वायरों इंजी0 एवं मै0 भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कानपुर देहात को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : मै0 रैमकी इन्वायरों इंजी0 लि0 / मै0 भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0, कुम्भी, कानपुर देहात)** • उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों का औचक निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। **(कार्यवाही : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर)**

४/			• जाजमऊ क्षेत्र में सी0ई0टी0पी0 एवं सी0सी0आर0पी0 से जनित होने वाला स्लज (परिसंकटमय अपशिष्ट) सी0ई0टी0पी0 परिसर के निकट एयर फोर्स नाले की परिसीमा में (लगभग 300 मी0टन) भण्डारित है, जिससे कि वर्षा ऋतु में वर्षा जल के साथ स्लज के लीचेट से भू–गर्भीय जल एवं एयर फोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है भण्डारित स्लज का टी0एस0डी0एफ0 में निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा मे0 रैमकी इन्वायरो प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 से अनुबन्ध किया गया है। निस्तारित एवं स्थल पर भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की स्थिति।	• नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु मैसर्स रैमकी इन्वायरो इन्जीनियर्स लि0 (टी0एस0डी0एफ0) से अनुबन्ध किया गया है। वर्ष 2014 में कुल 77256 मी0टन, वर्ष 2015 में 16187 मी0टन तथा वर्ष 2016 में माह अप्रैल तक 4280 मी0टन परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण टी0एस0डी0एफ0 में किया गया है।	• परिसंकटमय अपशिष्ट नियमित रूप से टी0एस0डी0एफ में निस्तारित एवं अपशिष्ट का विवरण नगर निगम द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाये। **(कार्यवाही : कानपुर नगर निगम, कानपुर)**
			• सी0ई0टी0पी0 एवं सी0सी0आर0पी0 से जनित होने वाले स्लज के अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।	• परिसंकटमय अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण हेतु नगर निगम, कानपुर द्वारा स्थल का चयन कर 02 (30×30 फिट) का प्लेटफार्म निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में अपशिष्ट का भण्डारण प्लेटफार्म पर किया जा रहा है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि को परिसंकटमय अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण स्थल पर व्यवस्था केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुरूप किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : कानपुर नगर निगम, कानपुर)**

2.	नगरीय ठोस अपशिष्ट	नगर निगम कानपुर/ ए–2 जेड इन्फ्रास्ट्रैक्चर प्रा0 लि0, कानपुर।	• वर्तमान में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर से लगभग 1200 मी0 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित हो रहा है। जिसका एकत्रीकरण नगर निगम कानपुर एवं ए–2 जेड इन्फ्रास्ट्रैक्चर लि0, भाऊसिंह नगर द्वारा किया जा रहा है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं निस्तारण की स्थिति।	• नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कानपुर नगर के 37 वार्डो से नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण किया जा रहा है तथा अपशिष्ट का भण्डारण मे0 ए0टू0जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, कानपुर के प्लान्ट परिसर में किया जा रहा है। प्लान्ट का संचालन बन्द है। • नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थापित प्लान्ट को क्रियाशील किये जाने हेतु मैसर्स आई0एल0एफ0एस0 का प्रस्ताव शासन भेजा जा चुका है एवं अन्य संस्था मैसर्स सिटी ग्रीन का प्रस्ताव नगर निगम सदन से पास हो गया है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि को नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थापित प्लान्ट को क्रियाशील किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं प्लान्ट में एकत्र नगरीय ठोस अपशिष्ट को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का पूर्ण विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : नगर निगम, कानपुर)**
3.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नगर निगम/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर	• कानपुर नगर में दो सामूहिक जैव चिकित्सा उपचार व्यवस्थाएं (मै0 एम0पी0सी0सी0, भौती, कानपुर एवं बिलवर्ड इन्वायरोनमेन्ट इंक, चौघरीपुर, बिठूर, कानपुर) मै0 एम0पी0सी0सी0, भौती, कानपुर से 238 चिकित्सालय / पैथॉलाजी/क्लीनिक जैव चिकित्सा उपचार हेतु सम्बद्व है तथा मै0 बिलवर्ड, इन्वायरोनमेन्ट इंक चौधरीपुर, बिठूर, से 205 चिकित्सालय/ पैथॉलाजी/ क्लीनिक जैव चिकित्सा	• 407 एच0सी0एफ0 संचालित है, जिनमे से 328 एच0सी0एफ0 को प्राधिकार प्राप्त है, 32 एच0सी0एफ0 का प्राधिकार सम्बन्धी आवेदन विचाराधीन, 21 एच0सी0एफ0 का प्राधिकार सम्बन्धी आवेदन अस्वीकृत है तथा 26 एच0सी0एफ0 को जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 एवं यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किये गये है। • संचालित 407 एच0सी0एफ0 में 12208 शैय्या है तथा इनके द्वारा लगभग 3158 किग्रा0/दिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित होता है, जिसका पूर्ण उपचार सामूहिक/एकल व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है।	• सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्थाओं के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में इन्सीनरेटर पर आनलाइन मानीटरिंग हेतु व्यवस्था स्थापित कर ली गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों जैव चिकित्सा सामूहिक उपचार व्यवस्था के प्रतिनिधियो को आनलाइन मानीटरिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेत निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : मै0 एम0पी0सी0सी0, भौंती, कानपुर/मै0 विलवर्ल्ड इन्वायरोमेन्ट इंक, शुटरगंज, कानपुर)**

			उपचार हेतु सम्बद्ध है। • जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु मै0 रामा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मंधना कानपुर, मै0 7 एयर फोर्स हास्पिटल कैंट कानपुर के द्वारा स्वयं की व्यवस्था की गयी है।	• उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा [illegible] दोनों सस्थाओं को स्थापित व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं परिसर में हाउसकीपिंग में सुधार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है, जिसके अनुपालन में मै0 एम0पी0सी0सी0, भौती, कानपुर एवं मै0 विलवर्ल्ड इन्वॉयरोमेन्ट इंक, चौधरीपुर, बिठूर, कानपुर द्वारा स्थापित व्यवस्था का शुदृढ़ीकरण किया गया है। • उक्त दोनों संस्थाओं को वायु उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु आनलाइन अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुक्रम में मै0 एम0पी0सी0सी0 एवं मै0 विलवर्ल्ड इन्वायरोमेन्टल इंक द्वारा वायु अनुश्रवण हेतु आन लाइन मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित की गयी है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 एवं यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में हेल्थ केयर फैसिलिटी में जागरूकता लाये जाने हेतु कार्यशाला/सेमीनार आयोजित किये जाने हेतु सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 के उपस्थित प्रतिनिधियों, आई0एम0ए0 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया तथा उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र प्रेषित किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही :सी0बी0डब्लू0टी0एफ0/ आई0एम0ए0/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर)**
4.	औद्योगिक जल प्रदूषण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज की व्यवस्था के सम्बन्ध में	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ नगर निगम/ गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई (उ0प्र0 जल निगम)/ यू0पी0एस0आई0डी0सी0	• वर्तमान में संचालित उद्योगों में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु ई0टी0पी0 / पी0ई0टी0पी0 स्थापित है। जल प्रदूषण नियत्रंण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है तथा ऐसी इकाइयां जिनके द्वारा जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके	• कानपुर नगर में बोर्ड द्वारा 518 जल प्रदूषणकारी उद्योगो एस0पी0आई0 को चिन्हित किया गया है जिनका सतत् निरीक्षण किया जा रहा है तथा निरीक्षण में पाये गये दोषी उद्योगों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत 76 उद्योगों को बन्दी आदेश बोर्ड द्वारा जारी किये गये तथा 02 उद्योगों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है।	• बोर्ड द्वारा उद्योगों का सतत् निरीक्षण किये जाये तथा मानकों के विरूद्ध पाये जाने वाले उद्योगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। **(कार्यवाही : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर)**

			विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।		
			• जाजमऊ क्षेत्र में कई जगह (शीतला बाजार, वाजिदपुर, जाजमऊ रोड, भल्ला स्टेट) सीवर लाइन न होने के कारण घरेलू उत्प्रवाह भी टेनरी उत्प्रवाह को सी0ई0टी0पी0 तक पहुचाने वाले कन्वेंस चैनल में प्रेषित हो रहा है। जिससे सी0ई0टी0पी0 तक पहुचने वाले उत्प्रवाह की मात्रा में वृद्धि होना स्वभाविक है। तथा अतिरिक्त उत्प्रवाह नगर निगम नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है।	• मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 06.04.2016 में जाजमऊ स्थित टैनरी उत्प्रवाह के द्वितीय चरण के शोधन हेतु 25 एम0एल0डी0 क्षमता का डाईल्यूशन पद्धति पर आधारित सी0ई0टी0पी0 स्थापित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है। सी0ई0टी0पी0 द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 के शुद्धिकृत उत्प्रवाह के साथ मिक्स कर सिचाई हेतु प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। • महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि शार्ट प्लान के अन्तर्गत कनवेन्स चैनल के मरम्मत कार्य हेतु रू0 273.75 लाख दिनांक 22.06.2015 एवं रू0 273.74 लाख दिनांक 08.09.2015 को नगर निगम द्वारा प्राप्त करा दिया गया है। 328 मी0 कनवेन्स ड्रेन की मरम्मत एवं 408 मीटर आर0सी0सी0 कवर के मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा सी0ई0टी0पी0, जाजमऊ के उच्चीकरण हेतु तैयार की डी0पी0आर0 की प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर)**
			• कानपुर नगर में औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रूमा औद्योगिक क्षेत्र में सी0ईटी0पी0 के क्रियाशील न होने तथा पनकी साइट –1,2,3,4 एवं 5 में जल निकासी की पूर्ण	• कार्यावाही यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से अपेक्षित है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के प्रदूषण सम्बन्धी बैठकों में प्रतिभाग न किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक/सम्बन्धित अधिकारी को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने एवं

			व्यवस्था एवं ड्रेनेज व्यवस्था के उचित रखरखाव ना होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे भूगर्भीय जल प्रदूषण की सम्भावना है।		भविष्य में आहूत होने वाली बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : जिला प्रशासन, कानपुर नगर)**
5.	नगरीय सीवेज के शुद्धीकरण की समस्या	नगर निगम / गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर	• कानपुर नगर से लगभग 410 एम0एल0डी0 सीवेज प्रतिदिन जनित होता है। शुद्धीकरण हेतु वर्तमान में कानपुर शहर में 2 एस0टी0पी0 (130 एम0एल0डी0 तथा 5 एम0एल0डी0) जाजमऊ क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित है। तथा जाजमऊ स्थापित 36 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 में 27 एम0एल0डी0 सीवेज मिक्स कर शोधन किया जा रहा है। जिस प्रकार वर्तमान में 162 एम0एल0डी0 सीवेज शोधन की व्यवस्था है तथा शेष सीवेज विभिन्न नालो के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। • मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन जनहित रिट याचिका सं0–4003 / 2006 पारित आदेशों के अनुपालन में	• घरेलू सीवेज शुद्धिकरण एवं प्रस्तावित सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र के सम्बन्ध में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई / कानपुर नगर निगम द्वारा लघु एवं दीर्घ समयावधि कार्य योजना प्रेषित की गयी है। • महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में कानपुर नगर में लगभग 412 एम.एल.डी. घरेलू सीवेज जनित हो रहा है। वर्तमान में जाजमऊ, कानपुर 5 एम0एल0डी0 + 130 एम0एल0डी0 + 27 एम0एल0डी0 कुल 162 एम0एल0डी0 घरेलू सीवेज के शोधन हेतु व्यवस्था उपलब्ध है एवं जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0टी0पी0 का प्रगति विवरण निम्नवत् है। **(i) <u>210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 विनगवा</u>** :– एस0टी0पी0 निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा ट्रायल संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में एस0टी0पी0 पर औसतन 90 एम0एल0डी0 सीवेज शुद्धिकरण हेतु प्राप्त हो रहा है। एस0टी0पी0 में पालीशिंग पाण्ड	• अध्यक्ष महोदय द्वारा घरेलू सीवेज शोधन हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रखरखाव एवं संचालन उचित प्रकार से किये जाने एवं प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने तथा अद्यतन स्थिति से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराने हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही : गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ,कानपुर)**

			कार्यरत सीवेज शुद्धीकरण संयत्रों का निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। सीवेज शोधन संयत्रों से निस्तारित उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।	यूनिट का निर्माण शेष है। **(ii) <u>43 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जाजमऊ :–</u>** एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है तथा 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। **(iii) <u>42 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 सजारी :–</u>** एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा एस0टी0पी0 का ट्रायल संचालन किया जा रहा है। **(iv)<u>15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एम0पी0एस0 के साथ रनियापुरः–</u>** एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है तथा 26 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।	
6.	औद्योगिक एवं वाहनों के संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन (वायु प्रदूषण)	सम्भागीय परिवहन अधिकारी / उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / सी0यू0जी0एल0 / औद्योगिक संगठन / मै0 पनकी ताप विद्युत गृह	• जनपद कानपुर नगर में वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योग मे वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। वायु प्रदूषण की समस्या के प्रभावी निस्तारण हेतु स्थापित व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। • मै0 पनकी ताप विद्युत गृह द्वारा पर्यावरण मानकों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत गृह में वाटर रिसरकूलेशन	• कानपुर नगर में बोर्ड द्वारा 154 इकाईयां चिन्हित है, जिनमें से 140 इकाईयां संचालित है तथा सभी 140 इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। • दिनांक 21.08.2015 को पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर के प्रस्तावित कोयले पर आधारित 1×660 मेगावाट क्षमता विस्तार परियोजना के प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई	• बोर्ड द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाये तथा मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले उद्योगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। **(कार्यवाही : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर)** • अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिनिधि पनकी ताप विद्युत गृह, कानपुर को समस्त प्रदूषण स्रोतों पर ऑनलाइन अनुश्रवण व्यवस्था किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही की आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण

			की स्थापना एवं सीवेज शोधन संयत्र की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रस्तावित 14.167 करोड रूपये के कार्यों की अनुपालन आख्या वांछित है।	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) (जिलाधिकारी के प्रतिनिधि), कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई तथा लोक सुनवाई का कार्यवृत्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन मंत्रालय एवं जल वायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली प्रेषित किया गया है। • मुख्य अभियन्ता, पनकी ताप विद्युत गृह के पत्र दिनांक 16.12.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि 110 मेगावाट की इकाई संख्या 4 की वार्षिक ओवरहालिंग का कार्य अक्टूबर 2015 में पूर्ण हो गया है एवं माह अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक की अवधि में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु स्थापित व्यवस्था के अनुरक्षण/उच्चीकरण पर कुल रूपये 2,23,85,126.00 का व्यय किया गया है। इकाई संख्या 3 की वार्षिक ओवरहालिंग प्रस्तावित है, जिसमें कुल 2,83,31,000.00 का व्यय प्रस्तावित है। समस्त प्रदूषणकारी स्रोतों पर आनलाइन अनुश्रवण व्यवस्था किये जाने हेतु आंमत्रित निविदा खोली जा चुकी है एवं शीघ्र निर्णय लेकर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।	बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : पनकी ताप विद्युत गृह, कानपुर)**
			• कानपुर में स्थित उद्योगों में ठोस ईधन के स्थान पर पी0एन0जी0 के प्रयोग हेतु कार्यवाही।	• 42 उद्योगों द्वारा ठोस ईधन के स्थान पर पी0एन0जी0 का प्रयोग किया जा रहा है।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा ठोस ईंधन पर आधारित उद्योगों में पी0एन0जी0 के प्रयोग के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति एवं उद्योगों में पी0एन0जी0 के प्रयोग हेतु मूल्य दरों पर शासन स्तर से विचार किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु सी0यू0जी0एल0 को पत्र प्रेषित किये

1					जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त बिन्दु उद्योग बन्धु की बैठक में सम्मिलित किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /सेन्ट्रल यू0पी0 गैस लि0, कानपुर)**
			वाहनों से प्रदूषण की समस्या • कानपुर नगर में चलने वाले वाहनों में डीजल, पट्रोल का प्रयोग ईधन के रूप में किये जाने तथा ट्राफिक जाम की समस्या से परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा उपलब्ध परिवेशीय वायु गुणत्ता के आंकडों के अनुसार पी0एम0–10 की मात्रा मानकों से अधिक है। यदि शहर में संचालित लोडर्स एवं अन्य जनपदों के पंजीकृत वाहन जो शहर में संचालित है, को सी0एन0जी0 में परिवर्तित करा लिया जाये, तो शहर की वायु गुणता में और अधिक सुधार होगा।	• सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर के पत्र दिनाँक 14.12.2015 द्वारा वाहनो से होने वाले प्रदूषण की रोकथम हेतु कार्ययोजना की अद्यतन स्थिति प्रेषित की गयी है। जिसके अनुसार कानपुर नगर में 3288 टैम्पो, 3463 आटो रिक्शा, 309 सिटी बसें, 629 स्कूल बसें, 99 प्रा० स्कूल बस तथा 20 प्रा० सर्विस वाहन सी0एन0जी0 ईधन पर आधारित संचालित है। इसके अतिरिक्त 5001 लोडर्स,12903 हल्का मोटर वाहन, सी0एन0जी0 एवं 20153 हल्का मोटर वाहन एल0पी0जी0 पर आधारित है। • वर्तमान में जनपद कानपुर नगर में सी0एन0जी0 हेतु 03 मदर स्टेशन एवं 09 आनलाइन स्टेशन कार्यरत है। 01 बूस्टर स्टेशन 30.03.2015 में चौबेपुर में प्रारम्भ हुआ है।	• वाहनों से जनित होने वाले उत्सर्जन एवं पॉल्यूशन अण्डर कन्ट्रोल प्रमाण–पत्र की चेकिंग किये जाने एवं मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि आर0टी0ओ0 को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर)**
			• कानपुर नगर में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत नगर सेवा हेतु 270 बसें (सी0एन0जी0 ईधन पर	• विगत बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि के0एफ0सी0टी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 108 बसें आन रोड हो गयी है तथा शेष आफ रोड बसें 04 माह में आन	• अध्यक्ष महोदय द्वारा के0एफ0सी0टी0एल0 को कानपुर नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत नगर सेवा हेतु सी0एन0जी0 ईधन पर आधारित 270 बसों का पूर्ण विवरण

			आधारित) उपलब्ध करायी गयी। जिसमें से वर्ममान में 47 बसें आन रोड एवं 223 बसें आफ रोड है। 223 बसों को आन रोड करने हेतु सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन से रूपया 407.23 लाख अवमुक्त कराने हेतु आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल द्वारा दिनांक 06.02. 2015 को पत्र प्रेषित किया गया है। धनराशि अपेक्षित है।	रोड हो जायेगीं।	एवं समस्त बसों को आन रोड किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : प्रबन्ध निदेशक, के0सी0टी0एस0एल0 , कानपुर)**
7.	परिवेशीय वायु अनुश्रवण	पुलिस अधीक्षक (यातायात)/ सम्भागीय परिवहन अधिकारी/लोक निर्माण विभाग/नगर निगम/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , कानपुर	• उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर द्वारा शहर की परिवेशीय वायुगुणता के अनुश्रवण हेतु 08 एअर मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किए गये है, 05 मानीटरिंग स्टेशन क्रमशः किदवई नगर, शास्त्री नगर, जरीब चौकी, पनकी एवं आवास विकास पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दादा नगर, रामा देवी पर वायु अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।	• सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर के पत्र दिनाँक 14.12.2015 द्वारा माह अप्रैल 15 से नवम्बर 2015 तक 1332 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।	• कानपुर नगर में पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहन जिनके द्वारा मानकों के अनुरूप उत्सर्जन नहीं किया गया है के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने एवु आख्या नियमित रूप से प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। **(कार्यवाही : पुलिस अधीक्षक (यातायात)/सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानुपर)**
			• कानपुर नगर में ब्रम्ह नगर चौराहे पर ऑनलाइन आटोमैटिक एयर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन स्थापित	• लोक निर्माण विभाग/कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	• निर्माण सम्बन्धी कार्यो से उत्पन्न धूल के कणों के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं निर्माताओं को इस सम्बन्ध में

			किया गया है। **अनुश्रवण** केन्द्र का संचालन **इन्वायरोटेक** इन्स्ट्रयूमेन्ट **प्रा0लि0** नई दिल्ली द्वारा **किया** जा रहा है। • अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 प्रचालक की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक प्राप्त हो रही है, जिनका मुख्य कारण निर्माण सम्बन्धी कार्यो, वाहनों के आवगमन, खुले में कूड़े आदि का जलाना है।		आवश्यक निर्देश जारी किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग/कानपुर विकास प्राधिकरण /नगर निगम को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : लोक निर्माण विभाग/ कानपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम, कानुपर)**
8.	आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में	नगर निगम/ कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी/ कानपुर विकास प्राधिकरण/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	आवासीय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के संचालन से प्रदूषण की समस्या है। **आवासीय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 के आदेशों के सम्बन्ध में:–** मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.08.03 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 सी0एस–89 (1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003 दिनांक 01.11.03 द्वारा समस्त आवास आयुक्त, उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण निगम	• कानपुर नगर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी महोदया, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 13.03.2015 द्वारा नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर की अध्यक्षता में गठित अन्तरविभागीय समितियो द्वारा दिनांक 14.03.2015 को अभियान चलाकर 34 इकाईयों को कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा सील किया गया।	• अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 14.03.2015 को के0डी0ए0 द्वारा सील की गयी 34 इकाईयों की पुनः जॉच किये जाने हेतु के0डी0ए0 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से टीम बनाकर जॉच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/कानपुर विकास प्राधिकरण, कानुपर)** • नगर निगम/कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध संचालित उद्योगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही : नगर निगम/कानपुर विकास प्राधिकरण/ कानपुर विद्युत आपूर्ति कं0 लि0, कानुपर)**

			प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र उ0प्र0 को यह निर्देश दिए गये थे कि आवासीय क्षेत्रों में (भू प्रयोग के विरूद्ध) किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों को न चलने देने की कार्यवाही तत्काल की जाये।		

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का ध्यन्वाद कर बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,कानपुर

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0अ0)
कानपुर नगर।

गाजियाबाद के पर्यावरणीय सुधार हेतु कार्ययोजना (Action Plan) की प्रगति की अद्यतन समीक्षा हेतु मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय पर्यावरणीय समिति की जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2017 अपरान्ह 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद।

Tele Fax: 0120-2883720 **E-Mail: roghaziabad@uppcb.com** **Website: www.uppcb.com**

उत्तर प्रदेश में स्थित क्रिटीकली पाल्यूटेड क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार तथा अनुश्रवण किये जाने हेतु किये जा रहे कार्यो की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 03.01.2011 को गठित समिति एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2804/55–पर्या/15 दिनांक 19.10.2015 द्वारा गठित जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा गाजियाबाद के पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु किये गये कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण जिलाधिकारी महोदया, गाजियाबाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 22.04.2017 को सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. जिलाधिकारी महोदया, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद।
5. श्री पारस नाथ, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
6. श्री बी0डी0 शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
7. श्री रोहित सिहं, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
8. श्री प्रमोद कुमार, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, गाजियाबाद।
9. श्री एस0पी0 सिसोदिया, डी0ए0, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
10. श्री कुनाल सिहं, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, गाजियाबाद।
11. श्री राज सिहं, ए0एम0ए0जेड0पी0, गाजियाबाद।
12. मौ0 ताहिर, प्रबन्धक जल निगम, गाजियाबाद।
13. श्री रमेश कुमार तिवारी, यातायात निरीक्षक, गाजियाबाद।
14. डॉ0 बिजेन्द्र त्यागी, सी0वी0ओ0, गाजियाबाद।
15. श्री सुनील दत्त, जी0आई0एफ0, गाजियाबाद।
16. श्री एस0के0 सक्सैना, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
17. श्री राजकुमार मित्तल, तहसीलदार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
18. श्री आर0एच0 सिद्धीकी, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट, गाजियाबाद।
19. श्री सी0जैन, सहायक अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
20. आफिस अस्सिटेन्ट, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री, गाजियाबाद।
21. श्रीमती अर्चना तिवारी, सहायक आयुक्त उधोग, जिला उधोग केन्द्र, गाजियाबाद।
22. श्री वी0पी0 शर्मा, नगर निगम, गाजियाबाद।

23. श्री हरिओम चौहान, प्रेसीडेन्ट एस0एस0 जी0टी0 रोड औधोगिक क्षेत्र, गाजियाबाद।
24. श्री सुशील शर्मा, श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि0, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
25. श्री अशोक कुमार, महामंत्री, महानगर उधोग व्यापार मण्डल, गाजियाबाद।
26. श्री मनोज गर्ग, अध्यक्ष, महानगर उधोग व्यापार मण्डल, गाजियाबाद।
27. श्री आशुतोष श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, गाजियाबाद।
28. डॉ0 मुन्शीलाल, एडिशनल सी0एम0ओ0, गाजियाबाद।
29. श्री डी0के0 कपूर, श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि0, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
30. श्री मनदीप सिहं, मैसर्स मार्शल साईकिल, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
31. श्री विमल सचदेवा, मैसर्स कथूरिया बाद्रर्स, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
32. श्री बिजेन्द्र श्रीवास्तव, मेडीकेयर इन्वारमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, डासना, गाजियाबाद।
33. श्री अरूण कुमार, अध्यक्ष, ए0आई0एम0ओ0, मेरठ रोड औधोगिक क्षेत्र, गाजियाबाद।
34. श्री ए0के0 चौहान, सहायक अभियंता, सिचांई विभाग, गाजियाबाद।
35. श्री आनन्द त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, नगर निगम, गाजियाबाद।
36. श्री विशाल भाटिया, डी0जी0एम0 मार्केटिंग, आई0जी0एल0, गाजियाबाद।
37. श्री विजयपाल बघेल, पर्यावरण सचेतक, गाजियाबाद।
38. श्री के0के0 शर्मा, श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि0, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
39. श्री डी0 सिहं, ए0आर0टी0ओ0, गजियाबाद।
40. श्री चरनजीत सिहं, साहिबाबाद औधोगिक एसोसिऐशन, गाजियाबाद।
41. श्री मुकेश गुप्ता, साहिबाबाद औधोगिक एसोसिऐशन, गाजियाबाद।
42. श्री संजय कौशिक, मैसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, मरेठ।
43. श्री एस0पी0 सिसोदिया, ए0आई0एम0ओ0, गाजियाबाद।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष, महोदय की अनुमति से अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उ0प्र0 शासन द्वारा भी प्रदेश के चिहिन्त क्रिटकली प्रदूषणकारी क्षेत्रों के पर्यावरण की समीक्षा की जा रही हैं। गाजियाबाद के पर्यावरण सुधार/प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना (एक्शन प्लान) बोर्ड के पत्रांक दिनॉक 13.12.10 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है तथा समय-समय पर उक्त कार्ययोजना मे विभिन्न बिन्दुओं का शामिल किया जाता है। उक्त कार्य योजना के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक दिनॉक 03.02.11 द्वारा गठित समिति की प्रथम बैठक दिनॉक 05.02.11 को अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। पूर्व में कार्ययोजना की प्रगति का अनुश्रवण दिनांक 02.04.2016

को किया गया था। आहुत बैठक के दौरान एजेण्डा अनुसार निर्धारित बिन्दुओ पर सम्बन्धित विभागो के साथ विचार विर्मश किया गया, विषय बिन्दु, कृत कार्यवाही एवं अध्यक्ष महोदया द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश सहित कार्यवृत्त निम्नवत हैः-

क्रम संख्या	विषय/बिन्दु	सम्बन्धित विभाग	कृत कार्यवाही की स्थिति/विवरण।	अध्यक्ष महोदया द्वारा दिये गये निर्देश।
1	1.1 शहर से प्रतिदिन जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिट की मात्रा, वर्तमान निस्तारण की स्थिति, नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु डम्पिंग साईट की अद्यतन स्थिति/प्रगति का विवरण।	नगर निगम गाजियाबाद	नगर आयुक्त महोदय, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद शहर से लगभग 1000 मी0 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु 300 मी0टन/दिन क्षमता का प्रोसेसिंग प्लाट प्रताप विहार गालन्द मे स्थित है। इसके अतिरिक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु ग्राम गालन्द मे गायिजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण मे 10 एकड़ भूमि को नगर निगम, गाजियाबाद को दिनांक 25.04.2017 को डम्पिंग ग्राउण्ड बनाये जाने हेतु हस्तगत किया जाना है। नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उक्त के अतिरिक्त ग्राम अर्थला, नूरनगर तथा सिहानी में चिन्हित की गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 10 एकड़ भूमि इन्द्रापुरम में चिन्हित कर नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तगत की गयी हैं। नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद शहर के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों में निर्धारित मानको के अनुरूप बफर जोन उपलब्ध नही हैं जिसके कारण उक्त स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु विकास कार्यो से पूर्व पर्यावरणीय	1. गाजियाबाद शहर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम, गाजियाबाद एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से दिनांक 25.04.2017 मे गालन्द मे चिन्हित 10 एकड़ भूमि पर नियमानुसार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इन्टीग्रेटेड सेनेटरी लैण्डफिल साईट हेतु जल्द कार्य शुरू किए जायें। 2. वर्तमान में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रताप विहार में निस्तारित किये जा रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागो से आवश्यक अनुमतिया प्राप्त की जाये तथा परिवहन व निस्तारण इस प्रकार से किया जाये, जिससे पर्यावरण में परिवेशीय वायुगुणवत्ता के

			स्वीकृति/हिण्डन एयरबेस से स्वीकृति प्राप्त किया जाना सम्भव नही हैं। हिण्डन नदी के तट पर निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटा दिया गया है।	प्रभावित होने की सम्भावना न रहें तथा लीचेट होने की सम्भावना न रहें।
	1.2 नगर निगम गाजियाबाद द्वारा डूडाहैडा एवं इन्द्रापुरम गाजियाबाद में संचालित किये जा रहें एस.टी.पी. की अद्यतन स्थिति का विवरण।	नगर निगम गाजियाबाद	नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इन्द्रिरापुरम् में 56 एम.एल.डी. क्षमता तथा डूडाहेड़ा में 70 एम.एल.डी. तथा 56 एम0एल0डी0 (एस0बी0आर0) के एस.टी.पी. का संचालन नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहें है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि अद्यतन मे उक्त एस0टी0पी0 का अनुश्रवण दिनांक 04.03.2017 तथा 07.03.2017 को किया गया है।	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को उक्त दोनों एस.टी.पी. का संचालन सुचारू रूप से संचालन पूर्ण क्षमता पर चलाये जाने के निर्देश दिये गये तथा हिण्डन नदी मे गिरने वाले नालो को एस0टी0पी0 से जोड़कर सीवेज को शुद्धिकृत निस्तारित किया जायें। 2. एस0टी0पी0 से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह को औधोगिक इकाईयों, निर्माण योजनाओं तथा अन्य मे प्रयुक्त किये जाने के दृष्टिकोण से शुद्धिकृत उत्प्रवाह की उपयुक्तता का परीक्षण कराया जायें।
	1.3 हिण्डन नदी में प्रवाहित जल की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु, गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र के	नगर निगम गाजियाबाद / जी.डी.ए., गाजियाबाद/उ0प्र0 जल निगम।	क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद में जॉवली ड्रेन, करहेड़ा ड्रेन, हिण्डन विहार ड्रेन, मेरठ रोड/कैला भटठा ड्रेन, अर्थला ड्रेन तथा प्रताप विहार ड्रेन द्वारा उत्प्रवाह सीधे हिण्डन नदी में निस्तारित किया	अध्यक्ष महोदया द्वारा जल निगम को निर्देशित किया गया है कि हिण्डन नदी मे प्रवाहित नालों के शुद्धिकरण हेतु जिला प्रशासन की और से उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया जायें तथा

	अर्न्तगत स्थित ड्रेन जिनमें प्रवाहित उत्प्रवाह सीधे हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जाता हैं को शुद्धिकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण।		जाता है तथा हिण्डन नदी में प्रवाहित जल की गुणता का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाता हैं। उ0प्र0 जल निगम के द्वारा अवगत कराया गया कि हिण्डन नदी मे प्रवाहित नालों के शुद्धिकरण हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा लगभग 2145 करोड़ रूपये की परियोजना उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी हैं।	पत्र से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायें।
	1.4 विभिन्न औधोगिक क्षेत्रों में स्थित ड्रेन की क्लीनिंग तथा ड्रेन को लीचेट प्रूफ (पक्का) किये जाने के सम्बन्ध में कार्ययोजना का विवरण।	नगर निगम गाजियाबाद/ यू0पी0एस0आई0डी0सी0	नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न औधोगिक क्षेत्र की ड्रेन को आंशिक रूप से पक्का किया गया है तथा अन्य ड्रेन को पक्का किया जाना प्रस्तावित है। औधोगिक संगठनो के अध्यक्षो द्वारा अवगत कराया गया कि औधोगिक क्षेत्र मे स्थित ड्रेन के मरम्मत तथा साफ-सफाई किये जाने की आवश्यकता है। औधोगिक क्षेत्र मे स्थित औधोगिक ड्रेन के चोक होने पर सफाई कर्मियो द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के कारण जल भराव की समस्या रहती हैं।	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थित औधोगिक क्षेत्र के ड्रेनस का रख-रखाव सुचारू रूप से किये जाने हेतु नगर निगम, गाजियाबाद एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 गाजियाबाद को निर्देशित किया गया। 2. नगर निगम गाजियाबाद औधोगिक क्षेत्र मे स्थित नालो की सफाई मैकेनिकल मशीनों के किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
	1.5 लोहिया नगर सी-ब्लाक गाजियाबाद के भूगर्भीय जल से प्रभावित क्षेत्र में दैनिक जल आपूर्ति की स्थिति।	नगर निगम गाजियाबाद	नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लोहिया नगर सी-ब्लाक के अन्तिम बिन्दु तक सुचारू रूप से प्रातः तथा सायः कालीन प्रत्येक सत्र में लगभग 50 मिनट की अवधि तक पेय जलापूर्ति की जा रही है तथा मैसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 02 टेंकरों के माध्यम से लगभग 6 से 8 घण्टा तक प्रभावित क्षेत्र में पेय जलापूर्ति की जा रही है इसके अतिरिक्त पेय	अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को प्रभावित क्षेत्र में सुचारू रूप से पेय जलापूर्ति सुनिश्चित रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे की प्रभावित क्षेत्र के निवासियो को किसी भी प्रकार की समस्या न आयें।

			जलापूर्ति के लिए एक सम्पवेल की स्थापना ओर की गयी हैं। मैसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स द्वारा अवगत कराया गया कि लोहिया नगर सी-ब्लाक मे दिनांक 21.04.2017 तक क्रोम लेवल लगभग 95 प्रतिशत घट गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि लोहिया नगर क्षेत्र के भूगर्भीय जल का नमूना एकत्रण अद्यतन मे दिनांक 30.03.2017 को किया गया, विश्लेषण आख्या के अनुसार क्रोमियम के सान्द्रण मे पूर्व के सापेक्ष काफी कमी पायी गयी है।	
	1.6 ग्रीन वेल्ट तथा उधानों का विवरण।	नगर निगम गाजियाबाद	नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विकसित/संरक्षित ग्रीन वेल्ट का रख-रखाव सुचारू रूप से किया जा रहा हैं।	अध्यक्ष महोदया द्वारा हरित पटिटका हेतु चिन्हित क्षेत्रो में अत्याधिक वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2	यमुना प्रदूषण नियत्रंण इकाई गाजियाबाद द्वारा इन्द्रापुरम (74 एम.एल.डी.), लोनी (30एम. एल.डी.), गाजियाबाद में संचालित किये जा रहें एस.टी. पी. की अद्यतन स्थिति का विवरण।	यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।	यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि इन्द्रिरापुरम में 74 एम.एल.डी. तथा लोनी में 30 एम.एल.डी. एस. टी.पी. का संचालन किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का नमूना एकत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.03.2017 एवं 07.03. 2017 को किया गया है, विश्लेषण आख्यानुसार नमूना बोर्ड मानको के अनुरूप हैं।	अध्यक्ष महोदया द्वारा यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि उक्त दोनो एस.टी.पी. का संचालन सुचारू रूप से किया जाये तथा बजट हेतु उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायें।
3	3.1 जी.डी.ए., गाजियाबाद द्वारा डूडाहेडा (56 एम. एल.डी.), इन्द्रापुरम (56		जी.डी.ए. के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इन्द्रिरापुरम् में 56 एम.एल.डी. डूडाहेड़ा में 56 एम.एल.डी. तथा गोबिन्दपुरम् में 56 एम.एल.डी.	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को उक्त सभी एस.

	एम.एल.डी.),गोविन्द पुरम (56 एम.एल.डी.) गाजियाबाद में संचालित किये जा रहें एस.टी.पी. की अद्यतन स्थिति तथा शुद्धिकृत किये जा रहें सीवेज की मात्रा का विवरण।		क्षमता के एस.टी.पी. का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है तथा सीवेज की उपलब्धता न होने के कारण गोबिन्दपुरम् तथा डूडाहेड़ा के एस0टी0पी0 पूर्ण क्षमता से संचालित नही हैं। नगर निगम, गाजियाबाद के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विजय नगर एस0टी0पी0 से संयोजित सीवर लाईन का अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। उक्त के उपरान्त सीवर की क्षमता अधिक होना स्वाभाविक है।	टी.पी. का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। 2. एस0टी0पी0 मे सीवेज की उपलब्धता हेतु शहर की स्थिति सीवर लाईन के ओवर फ्लो को रोके जाने तथा अनट्रेप सीवर को ट्रैप किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा यू0पी0 जल निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायें।
	3.2 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा नव निर्मित/निर्माणाधीन एस.टी.पी. मोरटी (56 एम.एल.डी.), बापूधाम (56 एम.एल.डी.), गोविन्द पुरम (56 एम. एल.डी.) की अद्यतन स्थिति का विवरण।		जी.डी.ए. के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मधुबन बापूधाम में 56 एम.एल.डी. का एस. टी.पी. का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, आबादी के न होने से सीवर एस0टी0पी0 पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मोरटी(नूरनगर) में 56 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी. पी. का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा सिवेज की उपलब्धता हेतु सीवर लाईन के निर्माण तथा संयोजन की कार्यवाही प्रगति पर हैं। परिवर्तन स्कूल के समीप 02 मैनहोल के मध्य की भूमि अधिग्रहित न होने के कारण वर्तमान तक सीवर लाईन तथा बरसाती नाले का निर्माण पूर्ण नही हो पाया गया है। भू-अर्जन हेतु सम्बन्धित किसान से प्रयास किया जा रहा है।	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि नव निर्मित एस0टी0पी0 मे सीवेज की उपलब्धता हेतु सीवर लाईन का निर्माण पूर्ण कर एस0टी0पी0 के साथ संयोजित किया जाये तथा एस0टी0पी0 का संचालन सुनिश्चित किया जायें। 2. सीवर लाईन को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक सम्बन्धित किसान की जानकारी जी0डी0ए0 द्वारा जिला प्रशासन को दी जाये तथा एस0डी0एम0 सदर सम्बन्धित किसान से वार्ता कर भू-अर्जन हेतु

				जी0डी0ए0 को सहयोग प्रदान करेगें।
4	विभिन्न औधोगिक क्षेत्रों में स्थित ड्रेन की क्लीनिंग तथा ड्रेन को लीचेट प्रूफ (पक्का) किये जाने के सम्बन्ध में कार्ययोजना का विवरण। औधोगिक क्षेत्रो में स्थित सी.ई.टी.पी. (ट्रोनिका सिटी, लोनी) के संचालन की स्थिति।	**यू.पी.एस.आई.डी.सी.**	यू.पी.एस.आई.डी.सी. के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद शहर मे स्थित यू.पी.एस.आई.डी.सी.के औधोगिक क्षेत्र की ड्रेन को नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तगत कर दी गयी हैं, उन ड्रेनस का रख-रखाव तथा सफाई का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जाता हैं। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अपैरल पार्क, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद 04 एम0एल0डी0 क्षमता का सी.ई.टी.पी. स्थित हैं, जिसके अनुरक्षण व संचालन का बजट विभाग के पास नही है, जिसके कारण उक्त सी0ई0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से नही किया जा रहा हैं। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा 06 एम0एल0डी0 अतिरिक्त क्षमता के एक सी0ई0टी0पी0 का का निर्माण कार्य किया किया जा हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रोनिका सिटी मे स्थापित सी0ई0टी0पी0 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन वाद Original Application No. 317/2015 (M.A. No. 831/2015) Rashid Ali Warsi. Vs. UPSIDC Ltd. & Ors. में पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है तथा वर्तमान मे सी0ई0टी0पी0 सुचारू रूप से संचालित अवस्था मे न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय द्वारा सहमति जारी नही की गयी है।	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा यू.पी.एस.आई.डी.सी, गाजियाबाद को औधोगिक क्षेत्रों में स्थित नालियों की नियमित रूप से सफाई व मेन्टीनेन्स किये जाने एवं अपैरल पार्क स्थित सी.ई.टी.पी. ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद का सुचारू संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये तथा उक्त के अतिरिक्त सी0ई0टी0पी0 ट्रोनिका सिटी लोनी, के संचालन का सुचारू रूप से नही कर पा रहें है। उक्त के अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 2. सी0ई0टी0पी0 के संचालन के बजट आंवटन हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद के स्तर से भी शासन को पत्र

				प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
5	आवासीय क्षेत्र में स्थित प्रदूषणकारी औधोगिक इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही तथा विधुत विच्छेदन के सम्बन्ध में।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय क्षेत्र मे स्थित प्रदूषणकारी औधोगिक इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन किया गया हैं, जिसके द्वारा अद्यतन में तहसील लोनी में दिनांक 18.04.2017 एवं 20.04.2017 को प्रदूषणकारी उधोगों के विरूद्ध संयुक्त कमेटी द्वारा कार्यवाही की गयी हैं। अद्यतन तक मई-2015 से वर्तमान तक संयुक्त समिति द्वारा 581 उधोगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है।	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के प्रतिनिधि के उपस्थित न होने के कारण खेद व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध मे अपना स्पष्टीकरण दे। 2. भू-उपयोग के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद मे स्थित प्रदूषणकारी उधोगो के विधुत विच्छेदन किये जाने तथा संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही के दौरान किये गये विधुत विच्छेदन को सुनिश्चित रखे जाने हेतु विधुत विभाग को निर्देशित किया गया।
6	6.1 लोहिया नगर तथा मेरठ रोड औधोगिक क्षेत्र में भूगर्भीय जल से प्रभावित क्षेत्र के रेमीडेशन की अद्यतन स्थिति का विवरण।	मै0 श्री राम पिस्टन एण्ड रिंग्स, मै0 मार्शल साईकिल, मै0 कथूरिया ब्रदर्स, मै0 मास्कट टूल्स इडिया लि0, मेरठ रोड गाजियाबाद।	मैसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिग्स के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लोहिया नगर तथा मेरठ रोड औधोगिक क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र में भू-गर्भीय जल की रेमीडियेशन का कार्य किया जा रहा हैं तथा अद्यतन तक भूगर्भ से लगभग 114 करोड़ लीटर निष्कर्षित कर शुद्धिकृत किया गया हैं, शुद्धिकरण के दोरान लगभग 300 मी0टन क्रोम युक्त स्लज जनित हुआ है जिसका निस्तारण मान्यता प्राप्त टी0एस0डी0एफ0 के द्वारा किया गया है। अद्यतन में आई.आई.टी., चेन्नई के वैज्ञानिकों द्वारा नबम्बर माह-2015 में भूगर्भीय जल से प्रभावित क्षेत्र मे स्वायल सैम्पलिंग विभिन्न गहराई पर की गयी हैं, स्वायल की टैस्टिंग के बाद भूगर्भ में क्रोमियम	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा लोहिया नगर भू-गर्भीय जल का रेमीडियेशन पूर्ण किये जाने हेतु मैसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिग्स को निर्देशित किया गया। मैसर्स श्रीराम पिस्टन द्वारा किये जा रहे बायो रेमीडिऐशन को ओर अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु नगर निगम, गाजियाबाद तथा श्रीराम पिस्टन को क्षेत्रीय नागरिको में बायो रेमीडिऐशन के सम्बन्ध में जन जागरूकता

			सान्द्रण की अद्यतन स्थिति के बारे मे जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह का प्रयोग आस-पास के पार्को में सिचांई हेतु तथा फायर ब्रिगेड एवं अन्य उपयोग मे लिया जा रहा हैं। आई0आई0टी0 चैन्नई द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार 38 बैरियर फीडवेल का निर्माण लोहिया नगर सी-ब्लाक की ग्रीन बेल्ट मे कर लिया गया है तथा उक्त मे से 10 फीडबेल मे बायोफिडिंग का कार्य किया जा चुका है। नगर निगम, गाजियाबाद से उक्त फीडबैल निर्माण की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।	जागृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र मे स्थित समर्सिवल स्वामी स्वतः से समर्सिवल का संचालन स्वंय से न करें। शुद्धिकृत उत्प्रवाह के पुर्नः चक्रण के सम्बन्ध में श्रीराम पिस्टन को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित विभागो से अनुमति प्राप्त कर पुर्नः चर्कित किया जायें। 2. नगर निगम, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि बैरियर फीडवेल बनाये जाने हेतु आवश्यक अनुमति नियमानुसार मैसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स को प्रदान की जायें।
7.	गाजियाबाद से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में पंजीकृत एच.सी.एफ. की संख्या, बैड की संख्या, प्रतिदिन विभिन्न जनपदो से एकत्रित तथा निस्तारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा एवं उत्सर्जित उत्सर्जन का विवरण।	मैसर्स मेडीकेयर इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0/ मैसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, मेरठ/ उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, गाजियाबाद।	क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एच.सी. एफ. से जनित वायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण दो मान्यता प्राप्त कामन बायो मेडिकल ट्रीटमेन्ट फेसिलटी एम0जी0 रोड, जनपद हापुड़ तथा सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट, मेरठ द्वारा किया जा रहा हैं। जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।	अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त संस्थाओं का निर्देश दिये गये कि जनपद में स्थित अस्पतालों/नर्सिग होम्स से जनित बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित किया जायें।
8	जनपद गाजियाबाद में स्थित उधोगों की संख्या तथा सूची जिनके द्वारा पी.एन.जी. आपूर्ति	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड/ औद्योगिक संगठन	मैसर्स इन्द्रपस्थ गैस लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 200 औधोगिक इकाईयों द्वारा पाइप नेचुरल गैस का प्रयोग किया जा रहा हैं तथा 65000	अध्यक्ष महोदया द्वारा औधोगिक इकाईयों में ईधन के रूप में सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 को और

	हेतु कनेक्शन प्रदान/प्रस्तावित एवं खपत का विवरण। वर्तमान में वाहनो में सी.एन.जी. आपूर्ति हेतु संचालित/प्रस्तावित सी.एन.जी. स्टेशन एवं वर्तमान में प्रतिदिन वाहनो हेतु सी.एन.जी. खपत का विवरण। वर्तमान में पी.एन.जी. की आपूर्ति हेतु सयोजित घरेलू कनेक्शन एवं खपत का विवरण।		एस0सी0एम0डी0 गैस की खपत की जा रही हैं। 185 कर्मिशयल कनेक्शन द्वारा 7200 एस0सी0एम0डी0 गैस की खपत एवं 96000 घरेलू कनेक्शन द्वारा 45000 एस0सी0एम0डी0 गैस की खपत की जा रही हैं। वर्तमान में गाजियाबाद में 39 सी0एन0जी0 स्टेशन से कार्यरत हैं तथा 01 सी0एन0जी0 स्टेशन अण्डर कमीशन हैं।	अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु आई0जी0एल0 तथा औधोगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया।
9	• जनपद गाजियाबाद में सी0एन0जी0 संचालित वाहनो की संख्या। • जनपद गाजियाबाद में संचालित पुराने वाहनों के प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना का विवरण।	आर.टी.ओ./ ट्रैफिक पुलिस	कार्यालय सम्भागीय परिवहन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अद्यतन में निम्नानुसार सूचित किया गया हैं कि:- 1-जनपद गाजियाबाद में कुल 55445 सी0एन0जी0 वाहन संचालित है। 2-वर्तमान में सी.एन.जी. चलित टैम्पों का ही पंजीयन किया जा रहा है। 3- जनपद में 10 साल से अधिक अवधि के डीजल वाहनो की संख्या 12147 तथा 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनो की संख्या 90549 हैं। 4- विगत 03 माह के अन्तर्गत 5420 वाहनो का चालान किया गया हैं, जिनमे से 1237 वाहनो का चालान पी0यू0सी0 के अन्तर्गत किया गया है।	अध्यक्ष महोदयाा द्वारा निर्देशित किया गया कि फिटनेस के सम्बन्ध में समय-समय पर सधन अभियान चलाया जायें तथा सी.एन.जी. चलित वाहनों को प्रोत्साहित किया जाये एवं पब्लिक ट्रान्सपोंट की सुविधा में वृद्धि की जायें।
10	• जनपद गाजियाबाद में स्थित/ संचालित जल/वायु प्रदूषणकारी औधोगिक इकाईयो का निरीक्षण के दौरान दोषी	उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।	• जनपद गाजियाबाद में कुल 386 उधोग जल प्रदूषणकारी जिनमें से 339 उधोग संचालित एवं 47 उधोग बन्द है, 04 उधोगों को जल अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है तथा 11 उधोगो के विरूद्ध कारण बताओ	1. अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिनियमान्तर्गत जल /वायु प्रदूषणकारी उधोगों का

	पाये जाने पर जल/वायु अधिनियमो के अर्न्तगत की गयी कार्यवाही का विवरण। • मीनार्स परियोजना के अर्न्तगत परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण, ग्राउड वाटर नमूनों का एकत्रण तथा अनुश्रवण। • ऑटोमेटिक एअर क्वालिटी मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना व वायु गुणता आंकड़ों का डिस्प्ले किया जाना।		नोटिस जारी किये गये है एवं 397 उधोग वायु प्रदूषणकारी जिनमे से 352 उधोग संचालित एवं 55 उधोग बन्द हैं, 05 उधोगों को वायु अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है तथा 01 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं 01 उधोगो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रगति पर हैं, जिनका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा दोषी उधोगों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाती हैं। गाजियाबाद में एन0डब्लू0एम0पी0 परियोजना के अंतर्गत हिण्डन नदी के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम के चिन्हित बिन्दुओं पर मासिक जल नूमना एकत्रण व विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है तथा अनुश्रवण आख्यायें बोर्ड मुख्यालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को प्रेषित की जाती है। अद्यतन मे हिण्डन नदी का दिनांक 03.03.2017 को किया गया है। • ऑटोमेटिक एअर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन की स्थापना वसुन्धरा सेक्टर-16, गाजियाबाद मे की गयी है जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।	नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये तथा दोषी पाये जाने त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। 2. अध्यक्ष महोदया द्वारा जनपद गाजियाबाद मे मॉनीटरिंग स्टेशनो का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12	जनपद गाजियाबाद में संचालित सरकारी/प्राइवेट हैल्थ केयर फैसेलिटि द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट नियम 1998 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदू-ाण नियत्रंण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद में कुल 553 हैल्थ केयर फेसेलिटीज स्थित हैं उक्त समस्त सी0बी0डबलू0टी0एफ0 से अनुबन्धित हैं। बोर्ड द्वारा वर्तमान में 464 अस्पतालों को प्राधिकार निर्गत किया गया हैं, 17 आवेदन विचाराधीन हैं तथा 72 हैल्थ केयर फेसेलिटीज को प्राधिकार प्राप्त किये	अध्यक्ष महोदया द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि जैव चिकित्सा अपशि-ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन समस्त हैल्थ केयर फेसेलिटी से सुनिश्चित

			जाने हेतु नोटिस प्रेन्ित किया गया हैं। जनपद गाजियाबाद की कुल बेड क्षमता 9468 तथा प्रतिदिन जनित बायोमेडिकल वेस्ट की मात्रा लगभग 1035 किग्रा0 हैं।	कराया जायें।
13	जनपद गाजियाबाद के औधोगिक/आवासीय क्षेत्रों में स्थापित डी.जी.सेट में ध्वनि प्रदू-ाण के नियत्रंण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर (ध्वनि प्रदू-ाण नियंत्रण संयत्र) तथा निकटतम भवन की छत तल से चिमनी (उत्सर्जन हेतु) की ऊचॉई को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	विधुत सुरक्षा विभाग	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदू-ाण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में स्थापित डी.जी. सेट के संबंध में नियमित शिकायतें कार्यालय में प्राप्त होती रहती है। जिसके समाधान हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डी.जी. सेट में कैनोपी की व्यवस्था तथा उत्सर्जित उत्सर्जन हेतु निकटतम छत तल से 0.2 √के. वी.ए. की ऊँचाई रखी जायें तथा विधुत सुरक्षा विभाग से अनुरोध किया गया कि डी.जी.सेट के स्थापनार्थ/ संचालनार्थ अनुमति से पूर्व उक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें, जिस पर विधुत सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सहमति जतायी गयी।	अध्यक्ष महोदया द्वारा विधुत सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को डी.जी. सेट के स्थापनार्थ/ संचालनार्थ अनुमति से पूर्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
14	1. जनपद मे प्रवाहित हिण्डन नदी के जल भराव के क्षेत्र को चिन्हित किया जाना। 2. हिण्डन नदी मे जल छोडे जाने के सम्बन्ध मे। 3. नदी तट पर उच्चतम वाड़ स्तर के दोनो और 200 मी0 की दूरी तक एकत्रित नगरीय	सिचांई विभाग, गाजियाबाद।	-	अध्यक्ष महोदया द्वारा सिचांई विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर रोष व्यक्त किया तथा अग्रिम बैठक मे उपस्थिति सुनिश्चित रखे जाने एवं एजेण्डा बिन्दु पर सूचनाऐं एक सप्ताह के अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

	ठोस / बायो मेडिकल वेस्ट / प्लास्टिक अपशिष्ट को चिन्हित किये जाने तथा जमा होने से रोके जाने के सम्बन्ध मे।			
15	अन्य बिन्दु।			
15.1	मा0 एन0जी0टी0 मे याजित वाद संख्या ओ0ए0 नं-190/2016 सुशील राघव बनाम सी0जी0डब्लू0ए0 मे दिनांक 13.04.2017 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।	समस्त सम्बन्धित विभाग	उक्त वाद मे पारित आदेश के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदया, गाजियाबाद द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियबाद, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, जिला उधोग केन्द्र, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि तथा समस्त औधोगि संगठनो एवं उधोग प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया।	अध्यक्ष महोदयाा द्वारा अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि उक्त वाद के सम्बन्ध मे पृथक से कार्यवृत्त तैयार किया जायें।

अन्त में जिलाधिकारी महोदया, गाजियाबाद द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद कर बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
गाजियाबाद।

पत्रांकः- 456 /सा0पत्रा0-176/2017

तद् दिनांकः- 2/5/2017

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद।
3. महा प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, निकट-मेलाप्लाजा, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, एम0एम0जी0 हास्पीटल, जी0टी0 रोड़, गाजियाबाद।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, चतुर्थ तल, महालक्ष्मी मॉल, आर0डी0सी0 राजनगर, गाजियाबाद।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सेक्टर-23, राजनगर गाजियाबाद।

7. महाप्रबन्धक, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, सेक्टर-1, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सिहानी चुंगी, मेरठ रोड, गाजियाबाद।
9. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, राज नगर, उ0प्र0 जल निगम, गाजि0।
10. उप-निदेशक, कारखाना विभाग, कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद।
11. संभागीय परिवहन अधिकारी, बी0एस0 रोड, गाजियाबाद।
12. मुख्य अभियंता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 व विधुत सुरक्षा विभाग, राज नगर, गाजियाबाद।
13. पुलिस अधीक्षक (यातायात), एस0एस0पी0 आफिस, राजनगर, गाजियाबाद।
14. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, 718, कसाना रोड, गुरूद्वारा वाली गली, सुरजपुर, ग्रेटर नोयडा, गोतमबुद्ध नगर।
15. सिचांई विभाग, गाजियाबाद।
16. डॉ0 संजय अग्रवाल, ए0सी0एन0ओ0 हैल्थ, गाजियाबाद।
17. श्री कुलदीप कुमार, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, गाजियाबाद।
18. डॉ0 ब्रिजेन्द्र कुमार, सी0वी0ओ0, पशु चिकित्सक, गाजियाबाद।
19. श्री एस0डी0 वर्मा, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, सी0डी0-2, गाजियाबाद।
20. श्री आशिफ शहजाद, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट, गाजियाबाद।
21. श्री अरूण कुमार, अध्यक्ष, ए0आई0एम0ओ0, मेरठ रोड औधोगिक क्षेत्र, गाजियाबाद।
22. श्री विपिन डगवार, जनरल सेक्रेटरी, साहिबाबाद औधोगिक एसोसिएशन।
23. कार्यकारी निदेशक, मैसर्स ....., मेरठ रोड, गाजियाबाद।
24. प्रबन्धक, मै0 मेडीकेयर इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, सी-21, मंसूरी-गुलावठी रोड औ. क्षेत्र, हापुड़।

(पारस नाथ)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 556/ओजी–605/2017 दिनांक – 20/07/2017

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग आगरा मण्डल, आगरा।
7. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
8. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा।
9. अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
10. महाप्रबन्धक, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि0, आगरा।
11. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
12. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
14. परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
15. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा संभाग, आगरा।
16. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
17. सहायक निदेशक, उ0प्र0 पर्यटन, आगरा।
18. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा।
19. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम (सी0 एण्ड डीएस), आगरा।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लि0, आगरा।
21. महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा
22. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल सर्वे खण्ड, आगरा।

विषय : प्रदेश में आच्छादित किटीकली प्रदूषणकारी क्षेत्र आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2017 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Atulesh Yadav
(अतुलेश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर निवेदित।
2. अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Atulesh Yadav
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रदेश में आच्छादित किटीकली प्रदूषणकारी क्षेत्र आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत

प्रदेश में आच्छादित किटीकली प्रदूषणकारी क्षेत्र आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2017 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, आगरा में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति संलग्न है।

बिन्दु–1 आगरा नगर में जल प्रदूषण के जनन एवं नियंत्रण इत्यादि का विवरणः–

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर में बंद करायी गयी इकाईयों की सतत् निगरानी रखी जा रही है। बंद इकाईयों का निरीक्षण कराया गया हैं, इकाईयॉ बंद पायी गयी।

मा0 एन0जी0टी0 में दायर रिट पिटीशन नं0–375/2012 (पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया) में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा माह–मार्च, 2017 से मई, 2017 तक कुल–41 जल प्रदूषणकारी उद्योगों के निरीक्षण/नमूने एकत्रण का कार्य किया गया। जिनमें से 39 इकाईयों के नमूने मानकों के अनुरूप तथा 02 इकाईयों के नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर मानकों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर इकाईयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानना चाहा कि जनपद में कुल कितने अति जल प्रदूषणकारी इकाईयॉ स्थापित हैं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया कि जनपद में कुल 49 अत्यन्त जल प्रदूषणकारी इकाईयॉ स्थापित हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष अन्य इकाईयों की आगामी माह में जॉच करा लिया जाये तथा रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये। **(कार्यवाही– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)**

बिन्दु–2 घरेलू जल–मल (सीवेज) के जनन एवं शुद्धिकरण के सम्बन्ध में :–

यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया कि नगर में स्थापित 07 सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट में 05 सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट अपनी पूर्ण क्षमता पर तथा दो प्लान्ट नामतः देवरी रोड एवं बिचपुरी सीवर कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण आंशिक क्षमता पर चल रहें हैं। जलकल विभाग द्वारा सीवर गृह संयोजनों की संख्या वृद्धि के साथ–साथ सीवर की मात्रा बढ़ेगी। आगरा शहर के 90 नालों में से 28 नाले टेप्ड हैं तथा 06 नालों को टेपिंग करना प्रस्तावित है। आगरा शहर में 55एम0एल0डी0 का एस0टी0पी0 भी प्रस्तावित है जिसके लिये भूमि जल निगम के पास उपलब्ध है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि माह–अप्रैल, 2017 में सातों एस0टी0पी0 के एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने विश्लेषण आख्यानुसार बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। माह मई में भी सभी 07 एस0टी0पी0 के निरीक्षण/नमूने एकत्र कर विश्लेषण कराये गये जिनमें 03 एस0टी0पी0 बूढ़ी का नंगला (2.25एमएलडी), धॉधूपुरा (24एमएलडी) एवं पीलाखार (10एमएलडी) के नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शहर स्थापित समस्त एस0टी0पी0 का सघन निरीक्षण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाये तथा शेष 02 एस0टी0पी0 जिनमें से 01 आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सदरवन बिचपुरी एस0टी0पी0(40एम0एल0डी0) व दूसरा कालिंदी विहार एस0टी0पी0(4.25एम0एल0डी0) को यथाशीघ्र संचालित किया जाये। समिति की आगामी बैठक में परिणामों से अवगत कराया जाये साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा जल निगम प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि सभी 90 नालों की टेपिंग की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये। महाप्रबन्धक जल संस्थान द्वारा सीवर लाईन की कनेक्टीविटी सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करायी जाये। **(कार्यवाही– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम/जल संस्थान, आगरा।)**

बिन्दु–3 आगरा नगर में वायु प्रदूषण जनन एवं नियंत्रण इत्यादि का विवरणः–

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में नये वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना प्रतिबन्धित है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा ऐसी नव स्थापित इकाई जिनके द्वारा वायु प्रदूषकारी स्त्रोतों की स्थापना एवं संचालन हेतु कोक/कोल ईंधन का दहन पाये जाने पर बंदी की कार्यवाही की गई है।

ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा अपने पत्रांक जीजीएल/आगरा/2017/290 दिनांक 20.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि नूरी दरवाजा क्षेत्र में गैस पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। एक स्थान पर रेलवे टनल के ऊपर पाइप लाईन डालने का कार्य शेष है जिसके लिए नगर निगम की पुनः स्वीकृति अपेक्षित है अनुमति प्राप्त होने के पश्चात कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माह मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 एवं मई, 2017 के परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण डाटा के अनुसार मानीटरिंग स्टेशन ताज महल, एत्मादउददौला, रामबाग तथा नुनिहाई में PM_{10} का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है एवं $PM_{2.5}$ का स्तर ताजमहल पर पूर्व माह की तुलना में निर्धारित मानकों से कम पाया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम, आगरा के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि आगरा नगर निगम क्षेत्र में स्थित जूता इकाईयों से जनित कतरन की नियमित जॉच की जाये एवं दोषी जूता इकाईयों के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही की जाये तथा इस सम्बन्ध में जूता दस्तकार संघ के अध्यक्ष श्री भगत सिंह से समन्वय स्थापित करके जूता इकाईयों से निकलने वाली कतरन के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। कूड़ा जलाने वालों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाये। जिन स्थलों पर कूड़ा जलाया जाता है उनकी नियमित निगरानी नगर निगम कार्मिकों द्वारा की जाये तथा जलाने वाले व्यक्ति का फोटो खींचकर उसका नाम व पता नोट करें एवं उसके विरूद्ध आर्थिक दण्ड/प्राथमिकी दर्ज करायी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रीन गैस के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि ताजगंज क्षेत्र को सर्वे कर व घरेलू/व्यवासायिक संस्थानों जैसे होटल इत्यादि का सर्वे कर कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को निर्देशित किया गया कि ग्रीन गैस लि0 का कार्य बहुत ही असंतोषजनक है इनके द्वारा कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है इस सम्बन्ध में ग्रीन गैस लि0 के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही– आगरा नगर निगम/ग्रीन गैस लि0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

बिन्दु–4 वाहन जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का विवरण।

विगत सम्पन्न बैठकों में यह विचार किया जाता रहा है कि आगरा नगर एवं टी0टी0जेड0 क्षेत्र में वाहन जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना को निम्नवत् कियान्वयन किया गया हैः–

ताजमहल के 500मीटर परिधि के अन्दर संचालित प्राइवेट वाहनों को ही सीएनजी0 में कन्वर्ट किया जा रहा है। आगंरा शहर/टी0टी0जेड0 क्षेत्र में माह अक्टूबर 2015 तक सीएनजी/एलपीजी में कुल 34302 वाहनों को कन्वर्ट किया जा चुका है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा के पत्रांक 4768 दिनांक 21.06.2016 द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 परिवहन निगम की सभी बसें यूरो–3 एवं यूरो–4 श्रेणी की हैं तथा नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अर्न्तगत संचालित सभी 170 नगरीय सेवायें सी0एन0जी0 से संचालित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी आगरा के पत्रांक 1090 दिनांक 22.06.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि थ्री वहीलर ऑटो रिक्शा कुल–2327 यात्री वाहन एवं थ्री व्हीलर मालवाहक ऑटो रिक्शा कुल–280 दिनांक 01.01.2010 दिनांक 31.05.2016 तक पंजीकृत किये गये हैं जिनमें से 820 ऑटो रिक्शा सी0एन0जी0 /एल0पी0जी0 से कन्वर्टेड हो चुके हैं। नगर में वर्तमान में 1676 प्रदूषण युक्त वाहन संचालित हैं। यूरो–1 श्रेणी के वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद हो गया है तथा यूरो–2 श्रेणी के वाहन माह अक्टूबर, 2016 तक पूर्णतः बंद हो जायेंगे।

क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 परिवहन निगम की सभी बसें यूरो–3 एवं यूरो–4 श्रेणी की हैं तथा नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अर्न्तगत संचालित सभी 170 बसें सी0एन0जी0 से संचालित की जा रही है। अन्य बिन्दुओं पर आख्या अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शहर में चलने वाली डीजल चालित वाहनों पर जुर्माना–रू0–4,000/–प्रति वाहन/प्रभावी कार्यवाही की जाये साथ ही शहर में स्थित ट्रैवल एजेन्सियों व नोटिस प्रेषित किये जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा एस0पी0 सिटी, आगरा को निर्देशित किया गया कि शहर के माल रोड एवं फतेहाबाद रोड को शादी समारोह के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाये साथ ही इसे कड़ाई से लागू किया जाये एवं रात्रि 10:00बजे से ज्यादा शोर करने वाले मेरिज होम को नोटिस प्रेषित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में की गई कार्यवाही की अद्यतन अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम/एस0पी0 सिटी/संम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।)

बिन्दु–5 <u>हैजार्डस वेस्ट प्रबन्धन</u> :–

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा हैजार्डस प्रकृति की औद्योगिक इकाईयों को हैजार्डस प्राधिकार स्वीकृत किये जाते हैं तथा इकाईयों द्वारा इकाई परिसर में हैजार्डस वेस्ट को प्लास्टिक बैग्स, भूमिगत आर0सी0सी0 टैंक में बिना वर्षा जल अपमिश्रण की शर्त, प्रतिबन्ध अनुपालन की दशा में अल्प समय के लिये अस्थाई रूप से भण्डारित किया जाना प्रावधानित है तत्पश्चात सामूहिक उपचार व्यवस्था को अंतिम रूप से निस्तारण हेतु भेजा जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आगरा में संचालित समस्त परिसंकटमय अपशिष्ट जनन करने वाली इकाईयों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंद करायी गयी 15 इकाईयों का निरीक्षण किया गया। ये इकाईयॉ बंद/सील पायीं गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अन्य बंद इकाईयों का निरीक्षण करा लिया जाये यदि बंद इकाईयॉ संचालित पायी जायें तो उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

बिन्दु–6 <u>नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन</u> :–

कुबेरपुर लैण्डफिल साइट पर अवैज्ञानिक तरीके से नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण किया जा रहा है। लैण्डफिल साइट पर कूड़े में अग्नि प्रज्वलन होता पाया गया जिससे वायु प्रदूषण तथा पी0एम0–10 की वृद्धि स्वाभाविक है।

आगरा नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कुबेरपुर में प्लान्ट लगाया जा रहा है जबतक प्लान्ट सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है तबतक नगरीय ठोस अपशिष्ट को लैण्डफिल किया जा रहा है। आगरा नगर निगम, आगरा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुक्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 94/डी/ईई(पी)/16 दिनांक 04.03.2017 द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है तथा अवगत कराया गया है कि कार्ययोजना की डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं फण्ड की उपलब्धता के अधीन है। आगरा नगर निगम, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कुबेरपुर में डम्प किया जा रहा है। कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा रही है। नगरीय ठोस अपशिष्ट को हरी–भरी नामक संस्था से उठाने हेतु अनुबन्ध किया गया है। ताजगंज क्षेत्र का हरी–भरी संस्था द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को उठाकर डम्प साइट पर निस्तारित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम आगरा को निर्देश दिये गये कि कूड़ा ले जाने वाले सम्बन्धित ड्राइवरों के साथ मीटिंग करके यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित डम्पर/ट्रकों/लोडर को ढककर ले जाये तथा उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले ड्राइवरों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– आगरा नगर निगम, आगरा।)

बिन्दु–7 <u>बायो मेडिकल वेस्ट प्रबन्धन</u> :–

बायो मेडिकल वेस्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में आगरा नगर के समस्त चिकित्सीय संस्थानों से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण–पृथ्थकरण एवं ट्रांसपोर्टेशन अंतिम रूप से नियमानुसार निस्तारण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर निगम, अपर नगर मजिस्ट्रेट का संयुक्त कार्यदल गठित किया गया है संयुक्त कार्यदल द्वारा अनियमितता पाये जाने पर जननकर्ता को

नियमानुसार अस्थाई भण्डारण किये जाने हेतु बाध्य करते हुये सुझाव, मार्गदर्शन देते हुये कार्यवाही की लिखित चेतावनी दी जा रही है जिससे आशातीत सुधार परिलक्षित होना पाया गया है।

मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेण्ट प्रा0लि0, एत्मादपुर, आगरा का दिनांक 20.04.2017 को संयुक्त कार्यदल द्वारा निरीक्षण किया गया संस्था द्वारा दिनांक 22.02.2017 के निरीक्षण में पायी गयी कमियों में सुधार किया गया। 40 पी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 द्वारा प्राधिकार शुल्क के साथ प्राधिकार आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये हैं। जिनपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चिकित्सीय संस्थानों से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये तथा जनपद के अस्पतालों का जिले स्तर पर गठित संयुक्त कार्यदल द्वारा समय–समय पर जॉच की जाये तथा दोषी अस्पतालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही की प्रगति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी/आगरा नगर निगम/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

बिन्दु–8 <u>भूगर्भीय जलगुणता</u>

आगरा के भूगर्भीय जल गुणता एवं भूमिगत जल स्तर का विवरण भूगर्भीय विभाग आगरा द्वारा पूर्व बैठक में प्रस्तुत किये गये थे एवं चर्चा की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 300वर्ग मीटर के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के निद्रेश जारी किये गये थे।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा सूचित किया गया है कि 60 भवन स्वामियों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था लागू कर ली गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत करया गया है कि 21 उद्योगों को रेनवाटर हार्वेस्टिंग लगाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भू–गर्भ जल की अनुमति हेतु तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था लगाने हेतु सभी जल उपभोग/प्रयोग करने वाली इकाईयों को नोटिस जारी किये जायें तथा उक्त निर्देशों को शक्ति से लागू किया जाये।

(कार्यवाही– आगरा विकास प्राधिकरण/लघु सिंचाई विभाग/भूगर्भ जल विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

बिन्दु–9 <u>आगरा शहर का ट्रैफिक प्लान</u>

पुलिस अधीक्षक यातायात, आगरा के पत्र के पत्र संख्या–एसपीटी–22/17 दिनांक 21.06.2017 द्वारा आगरा के ट्रैफिक प्लान की प्रगति आख्या प्रेषित की गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित एस0पी0 ट्रैफिक को बेहतर ट्रैफिक प्लान बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपर जिलाधिकारी(नगर) की अध्यक्षता में बैठक कराकर भगवान टाकीज, रामबाग क्षेत्र में ट्रैफिक प्लान लागू कर ट्रैफिक कन्ट्रोल किया जाये तथा अनाधिकृत रूप लगाये गये ठेलों को हटाया जाये। इस सम्बन्ध में आर0टी0ओ0 को निर्देश दिये गये कि अवैध रूप से संचालित किये जा रहे ऑटो वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाये।

(कार्यवाही– नगर निगम आगरा/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/एस0पी0 ट्रैफिक पुलिस, आगरा।)

<u>अन्य बिन्दु</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित समस्त विभागों के साथ प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरीबैग के प्रभावी रोकथाम हेतु एक सप्ताह के अन्दर बैठक करायी जाये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

30/6/17

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

(गौरव दयाल)
जिलाधिकारी,
आगरा।

में आच्छादित किटीकली प्रदूषकारी क्षेत्र आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु प्रस्तावित योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में आहूत बैठक की उपस्थिति।

क्र0 सं0	नाम	पद नाम	मोबाइल नं0 /ई–मेल पता	हस्ताक्षर
1.	Gaurav dayal	DM		
2.	K.P Singh	ADM City	9457441765	
3.	नज़मी मुज़फ्फर	सहायक अभियन्ता	7300740621 nazmimuzaffar30@gmail	
4.	Ajay Kapoor	Dy CMO	8171757570	
5.	कमल कुमार	तैनाती	9412753224	
6.	Samit Pandey	AGM (P, O&M), Green Gas Ltd	9793806603	
7.	F.C. Mukherjee	DGM (P, O&M)/OIC Green Gas Ltd	8909202424	
8.	AJAYMISHRA	ARTO(E) Agra	8005108	
9.	RAVINDRA SINGH	ARM Roadways	8004912970	
10.	Shailendra Kumar	Technical Assistent (Undr Ground water Dept.)	9927227727	
11.	R.V. Singh	ASO. UPPCB	7839891750	
12.	Birendra Kumar	DC Industries Agra	9457839684	
13.	Khalid Ahmad	P.M. PCU UPJN	9473942449	
14.	B.K. Garg	P.M., C.U., UPJN	9473942647	
15.	Krishna Kumar Singh	D.F.O. Agra	8174940867	
16.	T.S. Singh	SP Traffic	9454[illegible]	
17.	Dr. Ram Karan	RO, UPPCB, Agra	7839891841	
18.				
19.				
20.				

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 407 / 06-605 / 2017 दिनांक – 17 / 06 / 2017

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–1),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एंव वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–18(1)(b) के अन्तर्गत किटीकली पॉलूटेड क्षेत्रों हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, के पत्र संख्या एचओ–39791 / सी–1 / सा0–102 / 2017 दिनांक 12.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएं निम्नवत हैः–

1. किटिकली पॉलूटेड क्षेत्र आगरा प्री–मानसून मॉनीटरिंग एंव पोस्ट–मानसून मॉनीटरिंग का विवरण निम्नवत हैः–

औद्योगिक क्षेत्र–नुनिहाई

माह	प्री–मानसून मॉनीटरिंग रिपोर्ट				माह	पोस्ट–मानसून मॉनीटरिंग रिपोर्ट			
	सल्फरडाई ऑक्साईड SO_2	नाईट्रोजनडाई ऑक्साईड NO_2	आर0एस0 पी0एम0 (पीएम$_{10}$)	एस0 पी0एम0		सल्फरडाई ऑक्साईड SO_2	नाईट्रोजनडाई ऑक्साईड NO_2	आर0एस0 पी0एम0 (पीएम$_{10}$)	एस0 पी0एम0
अप्रैल 2013	13.42	20.60	268.70	586.30	दिसम्बर 2013	10.84	17.51	284.3	709.80
मई 2013	12.18	20.28	313.04	557.29	जनवरी 2014	11.51	16.0	282.3	648.60
जून 2013	8.65	16.50	199.91	494.62	फरवरी 2014	10.40	14.37	188.82	567.34
अप्रैल 2014	9.97	14.59	205.04	571.8	दिसम्बर 2014	10.44	14.88	312.0	566.40
मई 2014	9.45	12.11	194.33	545.0	जनवरी 2015	11.50	17.2	214.1	274.8
जून 2014	8.12	12.92	240.7	475.95	फरवरी 2015	9.0	15.0	237.7	449.3
अप्रैल 2015	7.3	14.0	210.6	483.8	दिसम्बर 2015	11.34	19.75	280.2	570.8
मई 2015	9.1	17.0	229.6	557.6	जनवरी 2016	10.23	18.80	282.2	487.2
जून 2015	9.7	18.8	201.0	473.0	फरवरी 2016	10.97	18.40	274.4	459.3
अप्रैल 2016	11.37	19.88	327.8	577.0	दिसम्बर 2016	10.79	19.47	244.95	328.14
मई 2016	14.78	19.93	246.1	481.6	जनवरी 2017	10.21	16.04	232.9	333.29
जून 2016	10.16	15.6	166.0	364.5	फरवरी 2017	8.85	12.70	158.6	284.3

आवासीय क्षेत्र–बोदला

माह	प्री–मानसून मॉनीटरिंग रिपोर्ट				माह	पोस्ट–मानसून मॉनीटरिंग रिपोर्ट			
	सल्फरडाई ऑक्साईड SO_2	नाईट्रोजनडाई ऑक्साईड NO_2	आर0एस0 पी0एम0 (पीएम$_{10}$)	एस0 पी0एम0		सल्फरडाई ऑक्साईड SO_2	नाईट्रोजनडाई ऑक्साईड NO_2	आर0एस0 पी0एम0 (पीएम$_{10}$)	एस0 पी0एम0
अप्रैल 2013	9.32	18.48	230.76	337.61	दिसम्बर 2013	9.65	15.02	277.5	601.9
मई 2013	10.07	17.60	225.88	468.30	जनवरी 2014	7.81	12.0	261.2	556.9
जून 2013	7.80	14.30	143.0	460.08	फरवरी 2014	7.27	11.14	169.16	432.32
अप्रैल 2014	7.41	10.83	189.05	476.88	दिसम्बर 2014	6.31	9.66	259.6	393.2
मई 2014	6.53	9.88	162.13	470.0	जनवरी 2015	7.30	11.30	201.4	249.8
जून 2014	6.57	10.35	161.11	398.22	फरवरी 2015	5.9	11.30	210.13	438.2
अप्रैल 2015	5.8	11.2	142.9	412.3	दिसम्बर 2015	6.87	16.5	214.0	477.4
मई 2015	5.3	9.6	196.6	472.5	जनवरी 2016	7.02	14.2	263.8	432.8
जून 2015	9.5	14.4	148.9	272.8	फरवरी 2016	9.34	14.45	198.6	374.9
अप्रैल 2016	8.34	15.14	211.2	433.2	दिसम्बर 2016	9.42	15.52	239.6	310.7
मई 2016	8.47	16.60	188.7	412.7	जनवरी 2017	7.96	12.66	209.5	323.88
जून 2016	7.40	12.7	155.9	289.4	फरवरी 2017	6.21	10.4	148.7	283.3

ऑटोमेटिक एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनीटारिंग स्टेशन, नगर निगम परिसर, संजय प्लेस, (व्यावसायिक), आगरा।

माह	प्री–मानसून मॉनीटरिंग रिपोर्ट				माह	पोस्ट–मानसून मॉनीटरिंग रिपोर्ट			
	सल्फरडाई ऑक्साईड SO_2	नाईट्रोजनडाई ऑक्साईड NO_2	आर0एस0 पी0एम0 (पीएम$_{10}$)	(पीएम$_{2.5}$)		सल्फरडाई ऑक्साईड SO_2	नाईट्रोजनडाई ऑक्साईड NO_2	आर0एस0 पी0एम0 (पीएम$_{10}$)	(पीएम$_{2.5}$)
अप्रैल 2013	13	43	232	–	दिसम्बर 2013	14	58	421	–
मई 2013	14	30	–	90	जनवरी 2014	13	47	–	244
जून 2013	13	10	139	–	फरवरी 2014	10	43	200	–
अप्रैल 2014	–	35	208	–	दिसम्बर 2014	13	68	339	–
मई 2014	–	36	–	111	जनवरी 2015	14	53	–	256
जून 2014	–	35	213	–	फरवरी 2015	17	53	286	–
अप्रैल 2015	14	39	195	–	दिसम्बर 2015	20	59	–	210

मई 2015	12	37	—	83	जनवरी 2016	10	62	—	240
जून 2015	10	33	—	61	फरवरी 2016	26	85	—	152
अप्रैल 2016	11	47	—	129	दिसम्बर 2016	15	66	—	247
मई 2016	17	34	—	66	जनवरी 2017	10	68	—	196
जून 2016	12	28	—	61	फरवरी 2017	16	69	—	124

NOTE : All Values are in $\mu g/m^3$

STANDARD :

			Annual Average	24 Hrs Average
1.	SO_2 (सल्फरडाई ऑक्साईड)	-	20 $\mu g/m^3$	80 $\mu g/m^3$
2.	NO_2 (नाईट्रोजन ऑक्साईड)	-	30 $\mu g/m^3$	80$\mu g/m^3$
3.	S.P.M. -	-	-	-
4-	R.S.P.M./PM_{10}	-	60 $\mu g/m^3$	100 $\mu g/m^3$

1. किटिकली पॉलूटेड क्षेत्रों हेतु बनायी गयी कार्य योजना के कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में करायी गयी बैठकों के तिथियों का विवरण निम्नवत है:–

- दिनांक 21.02.2011
- दिनांक 13.03.2015
- दिनांक 26.05.2015
- दिनांक 09.09.2015
- दिनांक 26.02.2016
- दिनांक 10.05.2016
- दिनांक 23.06.2016
- दिनांक 23.11.2016
- दिनांक 23.03.2017

बैठकों के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1 से 4)

2. किटिकल पॉलूटेड क्षेत्र आगरा में सेपी स्कोर का विवरण निम्नवत है:–

- सेपी स्कोर 2009 76.48
- सेपी स्कोर 2011 88.36
- सेपी स्कोर 2013 68.71
- वर्तमान सेपी स्कोर से सम्बन्धित डाटा के सम्बन्ध में वर्ष 2014,2015 व 2016 की यमुना नदी की जलगुणता, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या एंव एसपीआई उद्योगों के उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्याओं का विवरण संलग्न है। (संलग्नक–5 से 7)

आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D:\Vivek\Letter\Officer letter

REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONEBHADRA

संदर्भ सं0 Ref.No.: 9403/SA-P/2017

दिनांक Date: 14/07/2017

सेवा में,

मेसर्स .....

.....

.....

जनपद–सोनभद्र।

विषयः– सिंगरौली एक्शन प्लान (जनपद–सोनभद्र) की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि **जिलाधिकारी महोदय**, सोनभद्र की अध्यक्षता में **'सिंगरौली एक्शन प्लान'** की समीक्षा बैठक दिनांक **24.07.2017** को अपराह्न **03:00** बजे **'कलेक्ट्रेट सभा कक्ष'**, सोनभद्र में आहूत की गयी है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि दिनांक **15.05.2017** को आयोजित **'सिंगरौली एक्शन प्लान'** की समीक्षा बैठक की अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को **ई–मेल** द्वारा प्रेषित करें एवं मूल प्रति के साथ बैठक में निर्धारित **तिथि, समय एवं निर्धारित स्थान** पर भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0बी0 फ्रैंकलिन)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सलाहकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय(सेन्ट्रल जोन),केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. जोनल ऑफिसर, आँचलिक कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र।
7. उप जिलाधिकारी, दुद्धी/राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता, साडा, पिपरी, सोनभद्र।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
11. अधिशासी अभियन्ता, यूनिसेफ प्रोजेक्ट, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
12. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी, सोनभद्र।
13. एरिया सेल्स मैनेजर, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0, रिटेल टेरिटरी कार्यालय, इलाहाबाद।
14. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल विद्युत निगम, पिपरी, सोनभद्र।
15. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सोनभद्र।
16. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोनभद्र।
17. परियोजना निदेशक (नेडा), सोनभद्र।
18. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द बाँध, सिविल खण्ड, पिपरी, सोनभद्र।
19. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन निगम, पिपरी, सोनभद्र।
20. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।
21. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, राबर्ट्सगंज/नगर पंचायत (घोरावल, चुर्क, चोपन, ओबरा, रेनुकूट, पिपरी, दुद्धी), सोनभद्र।
22. सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी, आश्रम मोड़(ग्राम–खैराही),पो0–बनवासी सेवा आश्रम, वाया–तुर्रा, सोनभद्र(उ0प्र0) 231221.
23. थानाध्यक्ष–पिपरी, अनपरा, शक्तिनगर एवं बीजपुर, सोनभद्र।
24. क्षेत्राधिकारी–पिपरी एवं दुद्धी, सोनभद्र।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय- म0नं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र-231216
फोन : 05444-222464
फैक्स : 05444-222464

offi. H.N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonebhadra-231216
Phone : 05444-222464
Fax : 05444-222464

Scanned by CamScanner

जनपद–सोनभद्र में स्थित उद्योगों की सूची

1. कार्यकारी निदेशक, एन0टी0पी0सी0, शक्तिनगर, सोनभद्र।
2. कार्यकारी निदेशक, एन0टी0पी0सी0, रिहन्द नगर (बीजपुर), सोनभद्र।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 ('अ', 'ब' एवं 'द'), अनपरा, सोनभद्र।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 ('अ' एवं 'ब'), ओबरा, सोनभद्र।
5. महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0 ककरी, खड़िया, बीना, कृष्णशिला, दुद्धीचुआं परियोजना, सोनभद्र।
6. अध्यक्ष, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट, सोनभद्र।
7. अध्यक्ष, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, (रेनुसागर पावर डिवीजन), रेनुसागर, सोनभद्र।
8. अध्यक्ष, मे0 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0 (केमिकल एवं कैप्टिव पावर प्लाण्ट), रेनुकूट, सोनभद्र।
9. महाप्रबन्धक, मे0 एस0के0आई0 कार्बन ब्लैक (इंडिया) प्रा0 लि0 (यूनिटः हाई–टेक कार्बन), मुर्धवा, रेनुकूट, सोनभद्र।
10. अध्यक्ष, मे0 लैंको पावर प्रोजेक्ट, अनपरा, सोनभद्र।
11. अध्यक्ष, मे0 जयप्रकाश एसोसिएट्स लि0, डाला, सोनभद्र।
12. अध्यक्ष, स्टोन क्रशर्स एसोसिएशन, डाला–बिल्ली, ओबरा, सोनभद्र।
13. प्रबन्धक, मे0 चेतक इण्टरप्राइजेज लि0 (उपसा), सोनभद्र।
14. प्रबन्धक, मे0 ओरिएन्ट माइक्रोएब्रेसिव लि0, लभरी, विकास नगर, बैरिपान, सोनभद्र।
15. सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी, आश्रम मोड़ (ग्राम–खैराही), पो0–बनवासी सेवा आश्रम, वाया–चुर्रा, सोनभद्र(उ0प्र0) 231221.
16. थानाध्यक्ष– पिपरी, अनपरा, शक्तिनगर एवं बीजपुर, सोनभद्र।
17- क्षेत्राधिकारी– पिपरी एवं दुद्धी, सोनभद्र।

***

Scanned by CamScanner

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(बी) के अन्तर्गत किटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्रों हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय पर्यावरण समिति, वाराणसी की अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी की अध्यक्षता में रायफल क्लब सभागार, कलेक्ट्रेट, वाराणसी में दिनांक 23.06.2017 को सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त–

सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच.ओ0 3979/सी–1/सा0–102/2017 दिनांक 12.06.2017 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(बी) के अन्तर्गत किटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्रों हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय, उ.प्र. शासन के पत्र सं. 2804/55/15 दिनांक 19.10.2015 द्वारा गठित जिला स्तरीय पर्यावरण समिति, वाराणसी की समीक्षा बैठक दिनांक 23.06.2017 को सायं 4:00 बजे रायफल क्लब सभागार, वाराणसी में सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद वाराणसी में चिन्हित Critically Polluted क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये कार्ययोजना के अन्तर्गत गठित समिति सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थि थे:–

1. श्री जितेन्द्र मोहन सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
2. श्री मूल चन्द्र, प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, वाराणसी।
3. श्री सुरेश चन्द्र रावत, पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक), वाराणसी।
4. श्री घनश्याम, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
5. डॉ0 एस0सी0 शुक्ला, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
6. डॉ0 राहुल सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी।
7. श्री अजय कुमार राम, अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, वाराणसी।
8. डॉ0 ए0के0 दूबे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी।
9. श्री अमित राजन राय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी।
10. श्री संजीत कुमार कटियार, परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी।
11. श्री गौरव कुमार, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, मुगलसराय, चन्दौली।
12. श्री विनोद कुमार सक्सेना, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
13. श्री सुनील कुमार, गेल (इण्डिया) लि0, वाराणसी।
14. श्री हर्ष प्रताप सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला उद्योग केन्द्र, वाराणसी।
15. श्री राकेश मिश्रा, मेसर्स सिलकान वेलफेयर सोसाइटी, बंका, बहादुरगंज, गाजीपुर।
16. श्री अनूप सिंह, मेसर्स सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, मोहनसराय, वाराणसी।

1. बैठक में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उ0 प्र0 में पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित किटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु बनाई गई कार्य योजना की प्रगति के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के आदेशानुसार उ0 प्र0 शासन के पर्यावरण विभाग के कार्यालय आदेश सं0 2573/55–पर्या/14–47/10 दिनांक–30 जुलाई, 2014 द्वारा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। जिसकी समीक्षा बैठक मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की

अध्यक्षता में प्रति तीन माह में होती है। जिला स्तर पर समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे प्रति दो माह के अन्दर कराये जाने तथा जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह कराये जाने के निर्देश हैं। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समिति के गठन के उद्देश्य एवं कार्यो से भी अवगत कराया गया।

2. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, वाराणसी से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु करसडा में 600 मीट्रिक टन/दिन क्षमता का प्लांट स्थापित एवं संचालित है। वर्तमान में वाराणसी नगर निगम से लगभग 480 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रण कर प्रसंस्करण एवं निस्तारण किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा भवनियों पोखरी में 5 टन/दिन क्षमता का "वेस्ट टूँ इनर्जी" पद्धति पर प्लांट स्थापित किया गया है, जो शीघ्र ही संचालित कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने नगर निगम के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि नगर निगम के समस्त वार्डो से डोर टूँ डोर नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रण कर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निस्तारण कराया जाये। **(कार्यवाही नगर निगम, वाराणसी)**

3. परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी ने अवगत कराया कि वाराणसी महानगर से लगभग 320 एम0एल0डी0 घरेलू मल–जल जनित होता है। भगवानपुर में 9.8 एम0एल0डी0, डी0एल0डब्ल्यू0 में 12 एम0एल0डी0 एवं दीनापुर, वाराणसी में 80 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित एवं संचालित है। गोइठहा में 120 एम0एल0डी0 क्षमता एवं दीनापुर में 140 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है। उक्त के अतिरिक्त रमना में 50 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 प्रस्तावित है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवगत कराया गया कि उक्त तीनों एस0टी0पी0 से जनित शुद्धीकृत उत्प्रवाह को विसंक्रमित करने के लिए समुचित व्यवस्था स्थापित नही है तथा उक्त व्यवस्था स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।

(कार्यवाही गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी)

4. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है एवं मानकों को प्राप्त किया जा रहा है। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीरियसली पॉल्यूटिंग उद्योगों का प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से निरीक्षण कर नमूनों का एकत्रण किया जाता है। उत्प्रवाह के नमूनों की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पाये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की जाती है। वाराणसी में कुल 65 सीरियसली पॉल्यूटिंग उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से 33 इकाईया वर्तमान में बन्द हैं (33 इकाईयों में से राज्य बोर्ड द्वारा 22 इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में बन्द है)।

(कार्यवाही : क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी अस्पतालों से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से अनुबन्ध किया गया है। वाराणसी में स्थापित उन्ही नर्सिंग होम/अस्पताल/पैथोलॉजी/क्लीनिक आदि का पंजीकरण/नवीनीकरण किया जा रहा है, जिन्हे राज्य बोर्ड से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार निर्गत किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवगत कराया कि नर्सिंग होम/अस्पताल/पैथोलॉजी/क्लीनिक आदि प्राधिकार राज्य बोर्ड से प्राप्त नही किया गया है, उन्हे

नोटिस जारी की गयी है। किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी द्वारा CBWTF से सदस्यता/अनुबन्ध तथा प्राधिकार प्राप्त नही किया जाता है तो दोषी अस्पतालों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा की जाती है।

(कार्यवाही : मुख्य चिकित्साधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6. वाराणसी शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि समय–समय पर मोटर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की जॉच कराई जाती है तथा उत्सर्जन मानको से अत्यधिक पाये जाने पर मोटर वेहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवगत कराया कि वाराणसी शहर में परिवेशीय वायु गुणता के अनुश्रवण हेतु अर्दली बाजार में आटोमेटिक एम्बिएंट एअर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पॉच अन्य स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वनस्पति विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, जिसकी आख्या नियमित रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की जाती है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के सबंध में बिना प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र प्राप्त किये वाहनों के संचालन पर रोक, प्रदूषणकारी वाहनों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही, पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों के शहर के अन्दर संचालन पर प्रतिबन्ध, वाहनों में सी0एन0जी0 की उपलब्धता, जनपद में स्थापित प्रदूषण जॉच केन्द्रों के गुणवत्ता की जॉच आदि संबंधित आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित विभाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक यातायात/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन/गेल (इण्डिया) लि0/ भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0)

7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवगत कराया कि पॉलीथीन कैरी बैग्स के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 21.01.2016 से पॉलीथीन कैरी बैग्स का निर्माण, उपयोग एवं वितरण पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुझाव दिया गया कि पॉलीथीन कैरी बैग्स के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाये तथा दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। **(कार्यवाही : नगर निगम)**

8. वाराणसी शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन विभाग द्वारा वृक्षारोपड कराया जाना उचित होगा। वाराणसी शहर में हरित पट्टिका के विकास/वृक्षारोपड़ के संबंध में संबंधित विभाग सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही : प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी)

9. बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कालोनी बनाने/कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए नियमानुसार ई.आइ.ए. नोटिफीकेशन–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करना अनिवार्य है। 20,000 वर्ग मी0 से 1,50,000 वर्ग मीटर तक कन्सट्रक्शन (Builtup area on all the floors put together including Basement & other service) के लिए ई.सी. राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण तथा एन.ओ.सी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं 1,50,000 वर्ग मी0 से अधिक कन्सट्रक्शन/ 50 हेक्टेयर से अधिक टाउन शिप के लिए ई.सी. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा एन.ओ.सी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करना होगा। विभिन्न निर्माण एवं

टौउनशिप में नियमानुसार भूगर्भ जल संरक्षण एवं हरित पट्टिका के विकास हेतु को प्राथमिकता प्रदान करने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही : वाराणसी विकास प्राधिकरण)

10. बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुपालन हेतु समस्त सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से एक्शन प्लान तैयार कर उस पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य, जिला स्तरीय पर्यावरण समिति)

अन्त में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, डॉ0 एस0सी0 शुक्ला ने उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक को समाप्त करने की घोषणा की गयी।

03/7/17
(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी

पत्रांक : 828/क्षेत्रिवली पोल्यूटेड/17-18 दिनांक : 03-7-17

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उपरोक्तानुसार समस्त सम्बंधित सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

03/7/17
(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी

उ0प्र0 में चिन्हित क्रिटिकली पाल्यूटेड क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणता में सुधार लाने हेतु बनायी गयी कार्य योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2017 को सायं 4.0 बजे, राइफल क्लब, वाराणसी के सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण।

क0सं0	अधिकारी का नाम व पद नाम	पता	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1-	रितेन्द्र मोहन सिंह	ADM City	9454419030	
2-				
3-	चन्द्रभान, शिल्पी अधिकारी	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी	7839891455	23/6/17
4	Dr Rahul Singh	AEMO	9450542799	Rahul
5.	Gaurav Kumar	BPCL, Mughalsarai	8608374923	Gaurav
6.	Rakesh Mishra	Silkon Welfare	7705964178	
7.	Dr. A.K. Dubey	Nagar Nigam	8601872603	
8.	Ajay Kumar Ram	Nagar Nigam	8601872633	
9.	Vinod Kumar Saksena	Varanasi Development Authority	9415178273	
10	SUNIL KUMAR	GAIL (INDIA) LTD	9999301218	
11.	अमित रंजन राय	ARTO (A)	7705022022	
12-	Santosh Kashyap	CPC Varanasi	7380650443	
13.	Harsh Pratap Singh	Asst. Commr (Industries)	8400893954	
14.	Mool Chandra.	DFO	7839435179	
15	Suresh Chandra Rawat	S.P. Traffic	9454401874	
16	ANUP SINGH	C.P.C. VARANASI	8799411466	
17	[illegible]	गेल इंडिया	7830800308	
18	Sanjit Kr. Katiyar	Project Manager G.P.P.U. Varanasi	9473942689	Katiyar